न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 51/2024 निर्णय दिनांकः 21.05.2026
ऑनलाईन नम्बर 2024/90
नरसीनाथ पुत्र माँगनाथ जाति सिद्ध निवासी पुनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

–प्रार्थी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ 2. जगदीश 3. रामकिशन 4. रामेश्वरनाथ 5. लिछमणनाथ 6. ममता 7. विरमा 8. शारदा 9. संतोष 10. हीरा पुत्र/पुत्रीयां मांगनाथ जातियान सिद्ध निवासीगण पुनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

–अप्रार्थीगण–

उपस्थितिः–

1. श्री राजाराम नैण अभिभाषक प्रार्थी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।
3. श्री बजरंग शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ता 10।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न आधारो पर सादर प्रस्तुत है कि खेत खसरा नम्बर 260 तादादी 13.3700 हैक्टेयर (गै. मु. रास्ता 0.2300 हैक्टेयर, बारानी 13.1400 हैक्टेयर), खसरा नंबर 897 तादादी 14.5200 हैक्टेरय, खसरा नंबर 904 तादादी 15.3800 हैक्टेयर बारानी कुल खसरा 3 कुल तादादी 43.2700 हैक्टेयर वाके रोही पुनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित है। वादगत खेत प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थी का 1/45 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड अनुसार दर्ज है। प्रार्थी ने जब उपरोक्त खसरान की भूमि पर केसीसी बनाने हेतु जमाबन्दी की नकल दिनांक 06.02.2024 को ई–मित्र से निकलवाई तो प्रार्थी को जानकारी हुई की प्रार्थी के सयुक्त खातेदारी खेत खसरा नम्बर 260 तादादी 13.3700 हैक्टेयर (गै.मु. रास्ता 0.2300 हैक्टेयर, बारानी 13.1400 हैक्टेयर), खसरा नंबर 897 तादादी 14.5200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 904 तादादी 15.3800 हैक्टेयर बारानी कुल खसरा 3 कुल तादादी 43.2700 हैक्टेयर वाके रोही पुनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत रूप से नरसनाथ अंकित चला आ रहा है तथा प्रार्थी की जाति अंकित नहीं है। जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम शुरू से ही नरसीनाथ है तथा प्रार्थी की जाति सिद्ध है। प्रार्थी की माता की मृत्यु उपरान्त विरास्तन दर्ज इंतकाल में प्रार्थी का नाम नरसनाथ अंकित कर दिया है तथा प्रार्थी की जाति अंकित नहीं की गई है। प्रार्थी मजदूरी पेशा व्यक्ति है प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित चले आ रहे अपने नाम एवं जाति की कभी कोई जानकारी नही रही है प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर ही उक्त जानकारी हुई है। प्रार्थी के तमाम सरकारी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पहचान–पत्र, पेन कार्ड, बैंक–पासबूक, जन आधार कार्ड, ई–श्रम कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स में प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम नरसीनाथ पुत्र माँगनाथ जाति सिद्ध निवासी पुनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर अंकित चला आ रहा है। प्रार्थी को गांव, रिश्तेदारी, जान–पहचान, मित्रगण सभी नरसीनाथ के नाम से जाना–पहचाना जाता है। वादगत खसरा भूमि में प्रार्थी का ही कब्जा काश्त व उपयोग, उपभोग में चला आ रहा है प्रार्थी वादगत खसरा की भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम नरसीनाथ पुत्र माँगनाथ जाति सिद्ध निवासी पुनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर अंकित करवाने का कानूनन अधिकारी है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

वादगत भूमि में प्रार्थी का गलत नाम नरसनाथ अंकित होने व जाति का अंकन नहीं होने के कारण प्रार्थी को वादगत खसरा भूमि पर केसीसी बनाने ट्यूबवैल बनाने व अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वादगत खसरा भूमि में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित कर दिया तथा जाति अंकित नहीं की गई है। इस बाबत प्रार्थी ने दिनांक 06.02.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 से निवेदन किया कि मेरा नाम नरसीनाथ है मेरा नाम विरास्तन इंतकाल दर्ज करते समय वंश वंशावली हल्का पटवारी को सही नाम बताने के बावजूद गलत रूप से नरसनाथ अंकित कर दिया तथा जाति का अंकन नहीं किया गया जिसे शुद्धिकरण कर मेरा सही नाम नरसीनाथ अंकित कर तथा जाति अंकित कर देवें तो अप्रार्थी ने प्रार्थी को कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में आपका नाम रिकार्ड में शुद्धिकरण करना सम्भव नहीं है इस प्रकार अप्रार्थी ने प्रार्थी के नाम की शुद्धिकरण करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। राजस्व रिकार्ड उक्त संशोधन होने से अप्रार्थी के हितों पर कोई विपरीत असर नहीं पडेगा जबकि इसके विपरीत सही नाम दर्ज नही होने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। गौण अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 10 प्रार्थी के सगे भाई–बहिन है । नाम शुद्धि व जाति के अंकन से गौण अप्रार्थी संख्या 2 ता 10 के हितो पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा। जमाबंदी में गौण अप्रार्थी संख्या 2 ता 10 का नाम होने से आवश्यक पक्षकार संयोजित किया गया है। वादगत भूमि ग्राम पुनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है इसलिए न्यायालय श्रीमान् को उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का पूर्ण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फीस व अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि खेत खसरा नम्बर 260 तादादी 13.3700 हैक्टेयर (गै. मु. रास्ता 0.2300 हैक्टेयर, बारानी 13.1400 हैक्टेयर), खसरा नंबर 897 तादादी 14.5200 हैक्टेरय, खसरा नंबर 904 तादादी 15.3800 हैक्टेयर बारानी कुल खसरा 3 कुल तादादी 43.2700 हैक्टेयर वाके रोही पुनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का गलत नाम नरसनाथ अंकित हुआ है उसकी जगह नरसीनाथ पुत्र मांगनाथ जाति सिद्ध निवासी पुनरासर अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 1 को दिया जावे। और उसकी पालना अप्रार्थी से करवाई जावे। श्रीमान्जी की अति कृपा होगी ।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज उपस्थित। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 10 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया गया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सपठित धारा 151 सीपीसी पर अपनी सहमति प्रदान की गई एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 4 व 6 ता 10 के नाम डिलीट किये जाने व वादगत खसरा नम्बर 260 व 897 को अनुतोष की मद से डिलीट किये जाने का आदेश दिया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 3 एवं 5 की ओर से प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर अपनी अनापत्ति जाहिर की गई। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट एवं अप्रार्थीगण को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर खसरा नंबर 904 तादादी 15.3800 हैक्टेयर वाके रोही पुनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम "नरसनाथ" के स्थान पर

उपखण्ड अधिकारी
(बीकानेर)

"नरसीनाथ" दर्ज करके राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 21.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)